बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि०,

निबंधित कार्यालय, विधुत भवन, बेली रोड, पटना

कार्यालय आदेश संख्या–T-III/Pen.-Store-1501/13 754 पटना, दिनांक– 03/11/2014

श्री रामरतन सिंह, सेवानिवृत, भंडार सहायक, संचरण अवर प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध उपलब्ध कराए गये भंडार विभेद के मद में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0 282 ज्ञापांक 261 दिनांक 23–10–13 द्वारा रू0 6,97,113/–(छः लाख संतानवे हजार एक सौ तेरह) मात्र की कटौती उनके सेवोत्तर लाभ से करने का निर्णय लिया गया । जिसके आलोक में रू0 1,93,826/–(एक लाख तिरानवे हजार आठ सौ छब्बीस) मात्र की कटौती इनके उपादान (कार्यालय आदेश सं0 19/2013 ज्ञापांक 34 दिनांक 26–12–13) से की गई। शेष राशि में से 1,44,562/–(एक लाख चौआलिस हजार पॉच सौ बासठ) मात्र की कटौती श्री सिंह के बकाया पेंशन से करने के संबंध में उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि0 के पत्रांक 35 दिनांक 26–12–13 द्वारा लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, मुजफफरपुर को पुर्व में ही निर्देशित किया गया है।

तदनुसार उक्त राशियों के कुल कटौती योग्य राशि में समायोजन/कटौती के उपरांत शेष कटौती योग्य राशि रू0 3,58,725/–(तीन लाख अंठाबन हजार सात सौ पच्चीस) मात्र की कटौती के संबंध में अपर स्थायी समापदेशक के विधिक मंतव्य के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 332 दिनांक 12–6–14 एवं पत्रांक 423 दिनांक 23–7–14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के किया 139 ख के तहत इनके पेंशन से माहवार 25 प्रतिशत की दर से कटौती करने हेतु कारण पृच्छा जारी की गई । जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा अपना पक्ष दिनांक 1–8–14 द्वारा समर्पित किया गया।

श्री रामरतन सिंह, सेवानिवृत भंडार सहायक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई एवं यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा अपने जबाब में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। समर्पित कारण पृच्छा को असंतोषजनक पाया गया है एवं यह निर्णय लिया गया है कि कटौती योग्य शेष राशि रू0 3,58,725/– मात्र की वसूली श्री सिंह के पेंशन से माहवार 25 प्रतिशत की दर से कर ली जाय।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति श्री राम रतन सिंह(सम्प्रति) सेवानिवृत भंडार सहायक, संचरण अवर प्रमंडल, छपरा स्थायी पता–ग्राम+पो0–नौलागढ, थाना–नथकड़ा, जिला–बेगुसराय को भेजी दी जाय।

आदेश से

ह0/–

(आर0 एन0 लाल)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक– 683 पटना, दिनांक– 03/11/2014

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक (परियोजना) प्रकोष्ठ/उपमहाप्रबंधक (मा[illegible] शासन)/उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं [illegible] न कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाइ हेतु

(आर0 एन0 लाल)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

3/11/14